

अंडमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
राजभाषा विभाग
OFFICIAL LANGUAGE DEPARTMENT

Port Blair, dated the 2020

NOTIFICATION

No. /F. No. 2-14/2019/OL& In exercise of the powers conferred by the proviso to the Article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi, Notification No. U-14039/2/83-ANL dated 21st February, 1985 and MHA's Order No.16/24/2018/O.L.(Service) dated 11 February 2019, the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman & Nicobar Islands, hereby makes the following amendments to the Recruitment Rules to **GROUP 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial** post of "**Senior Hindi Translator**" and "**Hindi Translator**" in the establishment of Official Language Department, Andaman & Nicobar Administration published in the A & N Extraordinary Gazette Notification No.26/2011, dated 18-01-2011 and No. 76/2017 dated 15/05/2017, namely-

1. Short title and commencement :-

- (i) These Rules may be called Andaman & Nicobar Administration (Group 'B' posts of Official Language Department), (Non-Gazetted), (Non-Ministerial) Recruitment (Amendment) Rules, 2020.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. AMENDMENTS

- (i) The existing entries against column-1 of the Schedule-I appended to the Recruitment Rules (herein after called for brevity as the "said recruitment Rules") shall be substituted as under :-

Name of Post	SENIOR TRANSLATION OFFICER
--------------	-----------------------------------

- (ii) The existing entries against column-10 of the Schedule-I shall be substituted as under :-

Period of Probation, if any	Not Applicable
-----------------------------	----------------

- (iii) The term "**Hindi Translator**" used in the existing entries against Column 12 will be substituted as "**Junior Translation Officer**".

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption grades from which promotion / deputation / absorption to be made	Promotion:- From amongst the Junior Translation Officer of Official Language Department of the Administration in the Pay Level-6 of Pay Matrix (Rs. 35400-112400) with 5 years regular service in the grade
--	---

- (iv) The existing entries against column-13 of the Schedule-I shall be substituted as under :-

If a DPC exists, what is its composition?	<u>Group'B' DPC (for promotion/ confirmation) consisting of:-</u> 1. Chief Secretary - Chairman 2. Secretary(OL) – Member 3. Secretary(Law)- Member 3. Assistant Director (OL) - Member
---	--

- (iv) The existing entries against column-14 of the Schedule-I shall be substituted as under :-

Circumstances in which UPSC is to be consulted in making the recruitment	Consultation with the UPSC is not necessary.
--	--

- (v) The existing entries against column-1 of the Schedule-II appended to the Recruitment Rules(herein called for brevity as the “said recruitment Rules”) shall be substituted as under :-

Name of Post	JUNIOR TRANSLATION OFFICER
--------------	-----------------------------------

- (vi) The existing entries against column-8 of the Schedule-II shall be substituted as under :-

Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Master's degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of an examination at the degree level;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English with English medium and Hindi as compulsory or elective subject or as the medium of an examination at the degree level;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level;</p> <p style="text-align: center;">AND</p> <p>Recognized Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English & vice versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government Office, including Government of India undertaking.</p> <p>Note 1: - Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2:- The qualification (s) regarding experience is relaxable at the discretion of the SSC/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Schedule Tribes, if at any stage of Selection, the SSC/ Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>
---	--

- (vii) The existing entries against column-10 of the Schedule-II shall be substituted as under:-

Period of Probation, if any	02 (Two) years (for direct recruitment) Successful completion of three months in-service Translation Training Course Certificate conducted by Central Translation Bureau, New Delhi will be pre-requisite for completion of probation period.
-----------------------------	--

- (viii) The existing entries against column-11 of the Schedule-II shall be substituted as under:-

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancy to be filled by various methods.	1. 40% by Promotion failing which by Direct recruitment 2. 60% by Direct Recruitment.
---	--

- (ix) The existing entries against column-12 of the Schedule-II shall be substituted as under:-

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation / absorption to be made.	Promotion: From amongst Junior Hindi Translators of Official Language Department, A & N Administration in the level 4 (Rs. 25500-81100) of Pay matrix with 10 years regular Service in the grade.
--	---

- (x) The existing entries against column-13 of the Schedule-II shall be substituted as under:-

If a DPC exists, what is its composition?	Group'B' DPC for promotion/ confirmation consisting of:- 1. Chief Secretary - Chairman 2. Secretary(OL) – Member 3. Secretary(Law)- Member 3. Assistant Director (OL) - Member
---	---

- (xi) The existing entries against column-14 of the Schedule-II shall be substituted as under:-

Circumstances in which UPSC is to be consulted in making the recruitment	Consultation with the UPSC is not necessary.
--	--

Admiral D.K. Joshi (Retd.)
Lieutenant Governor
Andaman & Nicobar Islands.

By order and in the name of Lieutenant Governor

Assistant Director (OL)

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
राजभाषा विभाग
OFFICIAL LANGUAGE DEPARTMENT

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक दिसंबर, 2020.

प्रारूप अधिसूचना

सं. फा. सं. 2-14/2019-राजभाषा। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 21.02.1985 की अधिसूचना संख्या 14039/2/83-ए.एन.एल. तथा गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 11.02.2019 के आदेश संख्या 16/24/2018/रा.भा.(सेवा) के साथ पठित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक), अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्द्वारा दिनांक 18.01.2011 के अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 26/2011 तथा दिनांक 15.05.2017 की अधिसूचना संख्या 76/2017 में प्रकाशित 'वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक' तथा 'हिन्दी अनुवादक' के वर्ग 'ख' (अराजपत्रित) पद की भर्ती नियमावली में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ :-

- (i) इन नियमों को अंडमान तथा निकोबार प्रशासन (राजभाषा विभाग के वर्ग 'ख' पद) (अराजपत्रित) (अल्पिक वर्गीय) भर्ती नियमावली, 2020 कहा जा सकेगा ।
- (ii) ये नियम इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. संशोधन

- (i) भर्ती नियमावली (यहां इसके पश्चात संक्षेप में "उक्त भर्ती नियमावली" कहा जाएगा) में अनुलग्न अनुसूची-1 के विद्यमान कॉलम-1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

पदनाम	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
-------	-----------------------

- (ii) अनुसूची-1 के कॉलम-10 में विद्यमान प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

परिीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं
------------------------------	-----------

- (iii) अनुसूची-1 के कॉलम-12 में विद्यमान प्रविष्टियों के तहत प्रयुक्त 'हिन्दी अनुवादक' शब्द को 'कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी' से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत ।	पदोन्नति:- प्रशासन के राजभाषा विभाग में स्तर-6 के वेतन मैट्रिक्स (रु.35400-112400) में कार्यरत कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी में से, जिन्होंने इस ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो ।
--	---

- (iv) अनुसूची-1 के कॉलम-13 में विद्यमान प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है ?	वर्ग 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति(पदोन्नति/स्थायीकरण के लिए) का गठन इस प्रकार होगा:- 1. मुख्य सचिव - अध्यक्ष 2. सचिव (राजभाषा) - सदस्य 3. सचिव(विधि) - सदस्य 4. सहायक निदेशक(राजभाषा) - सदस्य
--	--

(v) अनुसूची-I के कॉलम-14 में विद्यमान प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

परिस्थितियाँ जिसमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।
---	---

(vi) भर्ती नियमावली (यहां इसके पश्चात संक्षेप में "उक्त भर्ती नियमावली" कहा जाएगा) के साथ संलग्न अनुसूची-II के विद्यमान कॉलम-1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

पदनाम	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
-------	-----------------------

(vii) अनुसूची-II के कॉलम-8 में विद्यमान प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	<p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिग्री तथा डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा का माध्यम रहा हो।</p> <p>अथवा</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री तथा डिग्री स्तर पर हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा का माध्यम रहा हो।</p> <p>अथवा</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न हिन्दी माध्यम से किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री तथा डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो।</p> <p>अथवा</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री तथा डिग्री स्तर पर हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो।</p> <p>अथवा</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री तथा डिग्री स्तर पर हिन्दी तथा अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या इन दो विषयों में से कोई एक विषय परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा विषय अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो।</p> <p>और</p> <p>हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालयों सहित भारत सरकार के उपक्रम में हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद कार्य का दो वर्षों का अनुभव।</p> <p>नोट 1:-सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर योग्यता संबंधी छूट दी जाएगी।</p>
---	--

	नोट:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामलों में यह छूट तब दी जा सकती है जब चयन के किसी चरण पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
--	---

(viii) अनुसूची-II के कॉलम-10 में विद्यमान प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो तो	02(दो) वर्ष (सीधी भर्ती के लिए) परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के लिए केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा आयोजित तीन माह का सेवाकालीन अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करना आवश्यक होगा।
----------------------------------	---

(ix) अनुसूची-II के कॉलम-11 में विद्यमान प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नती द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	1. 40 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा 2. 60 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
--	---

(x) अनुसूची-II के कॉलम-12 में विद्यमान प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नती द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति:- अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के राजभाषा विभाग में स्तर-4 के वेतन मैट्रिक्स (रु.25500-81100) में कार्यरत कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक में से, जिन्होंने इस ग्रेड में 10 वर्षों की नियमित सेवा की हो।
--	--

(xi) अनुसूची-II के कॉलम-13 में विद्यमान प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

यदि विभागीय पदोन्नती समिति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है ?	वर्ग 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति(पदोन्नति/स्थायीकरण के लिए) का गठन इस प्रकार होगा:- 1. मुख्य सचिव - अध्यक्ष 2. सचिव (राजभाषा) - सदस्य 3. सचिव(विधि) - सदस्य 4. सहायक निदेशक(राजभाषा) - सदस्य
--	---

(xii) अनुसूची-II के कॉलम-14 में विद्यमान प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

परिस्थितियाँ जिसमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।
---	---

एडमिरल डी.के.जोशी (अवकाश प्राप्त)
उप राज्यपाल
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

सहायक निदेशक (राजभाषा)